न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–103/2016

1. विमला देवी उम्र 45 वर्ष पत्नी भीमसैन जाति जाट निवासी 4 एम.एल. 'सी' तहसील गंगानगर हाल निवासी 68/1 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सुनील कुमार उम्र 21 वर्ष पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी श्री गंगानगर हाल निवासी 68/1 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

——— वादीगण

बनाम

1. पार्वती देवी उम्र 49 वर्ष पत्नी साहबराम पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 3, डिग्री कॉलेज के पीछे, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0)।
2. भीमसैन उम्र 55 वर्ष पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी 68/1 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. अंग्रेज देवी उम्र 42 वर्ष पत्नी कृष्ण लाल जाति जाट निवासी 68/1 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. शारदा उम्र 19 वर्ष पुत्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी 68/1 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज.काश्त. अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.07.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि कृषि भूमि वाके चक चक 68/1 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ का पत्थर संख्या 265/448, मुरब्बा नं0 20 का किला नं0 2 ता 9, 13 ता 19, 23/1, 24 ता 25 में कुल 4.1740 हैक्टर एवं पत्थर संख्या 265/449, मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 3 ता 7, 14 ता 16 एवं 25 में कुल 1.5180 हैक्टर इस प्रकार कुल तादादी 5.7550 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01ता4 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। वादीगण, प्रतिवादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि का सह खातेदार कृषक है। वादी एंव प्रतिवादी द्वारा पारस्परिक तोर पर वाहमी बंटवारा करने के उपरांत वादी अपने हिस्सा के उक्त किलाजात की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और मौका पर फसल बीजान्द है। वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवादित कृषि भूमि के राजस्व कर, सिंचाई कर अदायगी एवं सिंचाइ, सींव, बट आदि को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार आग्रह किया कि उक्त आपसी मौखिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त मुताबिक राजस्व अभिलेख में किलावाईज खाता विभाजन करवा कर बंटवारा

Scanned by CamScanner

काअंन करवा लेवं ताकि आपसी भाईचारा बना रहे एवं किसी प्रकार की परेशानी ना हो तो वे हमेशा शीघ्र ही ऐसा करने का आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे एवं आखिकार दावा से अर्सा तीन रोज पूर्व परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01ता4 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा एंव बिनाय मुखास्मत वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01ता 3 ने न्यायालय में जवाब ईकबाल दावा पेश किया तथा वाद डिक्री एवं विभाजन करने में कोई एतराज नहीं होने का अभिवचन किया। प्रतिवादी सं. 4 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद नोटिस तामिल के उपस्थित नही आई। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी संख्या 05 के द्वारा जवाब पेश नही किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1ता4 के नाम से संयुक्त खाता राजस्व रिकार्ड में है। प्रतिवादीगण संख्या 1ता 3 द्वारा जवाब ईकबाल दावा पेश कर दावा डिक्री करने में एतराज नहीं होने का अभिवचन करने एवं प्रतिवादी सं. 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने के उपरान्त पत्रावली में विवादित बिन्दू नही है। ऐसी स्थिति में वादी का यह वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है एंव स्वीकार किये जाने योग्य है।

::आदेश ::

वाद वादगीण निर्णित एंव डिक्रित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित किया जाता है कि वाद–पत्र के बिन्दू संख्या–8(क) में वर्णित कृषि भूमि में रास्ते व खाले को ध्यान में रखते हुए वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01ता04 के मध्य उसके हिस्सा अनुसार अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी अनुसार किला विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार स्वंय खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार कर सात दिवस के अन्दर–अन्दर इस न्यायालय को भिजवावें। प्राथमिक डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनमोहन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner